205

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2696–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–07–2015 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 219/2013–14 अपील

रमेश चन्द पुत्र स्व. मोतीराम बैश्य
निवासी सदर बाजार मुरैना, म0प्र0 —— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा तहसीलदार मुरैना ——अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 31 – 5 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 219/2013–14 अपील में पारित आदेश 02 जुलाई, 15 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कि आवेदक ने तहसीलदार मुरैना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि मौजा बड़ोखर स्थित भूमि सर्वे कमांक 132 (पुराना नंबर) रकबा 1 वीघा 16 विसवा है जिसका बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 740,741,742 एंव उसके वाद के बंदोवस्त में सर्वे कमांक 888, 889, 890 बना है, पुराने सर्वे कमांक 132 का रकबा 1 वीघा 16 विसवा था परन्तु वर्तमान में रकबा कम करके 1 वीघा 10 विसवा कर दिया गया है जिसे सुधारा जावे। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण क0 164/10–11

बी-121 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 31-5-11 पारित करके पुराना सँशोधन होना मानते हुये प्रकरण में भू राजस्व संहिता के प्रावधान लागू न होना माना एंव प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील कमांक 94/10-11 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 19-8-14 से निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 219/2013-14 अपील में पारित आदेश 02-7-2015 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है प्रकरण में देखना यह है कि क्या पूर्व वर्षो में कम हुये रकबे को वर्तमान नियमों के अंतर्गत सँशोधन कर रकबा पूर्ववत् किया जा सकता है अथवा नहीं । तहसीलदार मुरैना ने आदेश दिनांक 31-5-11 के पद दो एंव तीन में इस प्रकार स्थिति बताई है :-

" **मौजा बड़ोखर स्थित सर्वे कमांक 132 रकबा 1 वीघा 16 विसवा पर विकेता झींगुरिया पुत्र खुमान जाति दण्डौतिया ने केता सोहोद्रा वेवा फोदाराम जो दादी थी उन्होंने संपूर्ण विकय धन अदा कर विकय पत्र संपादित कराया था। विकय दिनांक से आज तक प्रश्नाधीन भूमि पर आज दिनांक तक काविज स्वीकार है।**

सोहाद्रा की मृत्यु के वाद उनके स्थान पर उनके दत्तक पुत्र पिता मोतीराम के नाम उक्त रकबे पर नामान्तरण हुआ, परन्तु संबत 1969 में रकबा 1 वीघा 16 विसवा संपूर्ण खसरे में अंकित था पर संबत 1993 में बंदोवस्त के दौरान उक्त रकबा में अमल करते समय 1 वीघा 16 विसवा के स्थान पर 1 वीघा 10 विसवा पटवारी कागजात

में अंकित हुआ। ''

आवेदक के स्वामित्व की भूमि बंदोवस्त के समय अभिलेख तैयार करते समय 1 वीघा 16 विसवा के स्थान पर 1 वीघा 10 विसवा अर्थात 6 विसवा लिपिकीय त्रृटि से कम अंकित हुई है। विचार योग्य बिन्दु है कि क्या इस संबत 1993 अर्थात सन् 1936 में अपलेखन से हुई त्रृटि को वर्तमान प्रचलित नियम/अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत सुधारा जा सकता है जबकि अभिलेख से लिपिकीय त्रृटि होना प्रमाणित होती हो ?

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 114, 116 तथा 261 - ऐसे नियम जो निरसित अधिनियमों के अधीन बनाये गये - भूमि लेख संग्रह - संहिता की धारा 116 के अधीन उनमें सॅशोधन हो सकेगा।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 116 तथा 261 - ग्वालियर का कानून रैयतवारी संबत 1974 - तदुपरांत- मध्य भारत माल प्रबंध तथा रैयतवारी भू आगम एंव कृषकाधिकार विधान संबत 2007 - धारा 45, 46 - संहिता की धारा 116 के अधीन नियत सीमावधि - विधान की धाराओं के अधीन प्राप्त स्वत्व के प्रकरणों में लागू नहीं होगी क्योंकि वह वेष्ठित स्वत्व है।
3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 114 तथा 261 - भू आगम एंव कृषकाधिकार अधिनियम (वि0प्र0) - धारा 134 - संहिता की धारा 116 के अधीन नियत समयावधि- अधिनियम की धारा 134 के अधीन प्राप्त स्वत्वों के प्रकरण में लागू नहीं होगी।

धारा 116 के समयसीमा के बंधन पर एंव पूर्व के नियमों के विलोपन के पश्चात् प्रविष्टियों के संशेधन की शक्ति नितांत समाप्त नहीं हो गई । धारा 113 के अनुसार वह उपांतरित रूप में बनी रही हैं। उस धारा में प्रविष्टियों का सॅशोधन किसी भी समय किये जाने का उपबंध है , यदि ऐसी प्रविष्टि लिपिकीय भूल के कारण हुई हो या जिनके संबंध में हित रखने वाले पक्षकार यह स्वीकार करते

हों कि वह प्रविष्टि अधिकार अभिलेख में भूल से हो गई है। विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार लिपिकीय भूल होना अप्रत्यक्ष रूप से मान रहे हैं परन्तु उनके द्वारा संहिता की धारा 116 के अधीन प्रकरण न मानने में भूल की है क्यों कि ऐसे नियम जो निरसित अधिनियों के अधीन बनाये गये हें म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 धारा 114, 116 तथा 261 के अंतर्गत पूर्व से चले आ रहे भूमि लेख संग्रह को संहिता की धारा 116 के अधीन दुरूस्त किया जा सकता है ।

5-आवेदक द्वारा निगरानी में जो तथ्य एवं आधार उनके समर्थन में आवेदक ने तहसील न्यायालय में दिये गये आवेदन पत्र, भूमि का मूल विक्रयपत्र, तथा विक्रय पत्र के आधार पर खसरा में की गई नामांतरण की प्रविष्टि प्रस्तुत की है जिससे यह प्रमाणित है कि पुराना सर्वे कमांक 132 का क्षेत्रफल का रकवा 1 बीघा 16 विस्वा था वर्तमान में जो सर्वे नम्बर निर्मित किये गये हें उसमें 1 बीघा 10 विस्वा क्षेत्रफल होने की प्रविष्टि की गई। अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदन की समय अवधि के तकनी के आधार पर आवेदक की प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। क्षेत्रफल के संबंध में विचार नहीं किया हैं । आर.एन.1986 पेज 208 अजीत कुमार विरूद्ध लक्ष्मीबाई में राजस्व मण्डल ने संहिता की धारा 115 के प्रावधान एवं विचाराधिकार के बिन्दु पर निर्णय लिया है। भू अभिलेख में यदि कोई गलत प्रविष्टि हो गई है, उसे सही करने का उत्तर दायित्व केवल आवेदक पर नहीं छोड़ा जा सकता। शासन का भी उत्तर दायित्व भू-अभिलेखों की प्रविष्टि यदि त्रुटिपूर्ण है तब उन्हें देखकर सही प्रविष्टि की जावे।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 219/अपील/13-14 में पारित आदेश 2.7.15 अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 94/10-11/अपील में पारित

आदेश दिनांक 19.8.14 एवं तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 164/2010-11/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 31.5.11 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार मुरैना को निर्देश दिये जाते है कि वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख में आवेदक की भूमि का क्षेत्रफल सुधार करते हुये 1 बीघा 10 विस्वा के स्थान पर 1 बीघा 16 विस्वा की प्रविष्टि की जाकर राजस्व अभिलेख में सुधार करें।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर